डा० दिनेश सिंह यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर बी०एड० विभाग)
दिनांक 1/5/2020
बी०एड० प्रथम वर्ष (2019-2021)
पेपर- पाठ्यक्रम में भाषा

भारतीय संविधान की प्रस्तावना
(Introduction of Constitution of India)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना -

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवम्बर 1949ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

भूमिका के लक्षण और महत्व :-

भारतीय संविधान की उस भूमिका के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं।-

1. संविधान के स्रोत का परिचय :-

इस भूमिका में हम, भारत

②

के लोग कह कर संविधान के स्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संविधान के द्वारा समस्त राजनैतिक सत्ता का स्रोत भारत की जनता को माना गया है।

2. आदर्शों तथा लक्ष्यों का उल्लेख :-

संविधान की भूमिका में ही संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान का लक्ष्य भारत में एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है।

3. भारतीय संघ की प्रभुसत्ता का आधार :-

संविधान की भूमिका भारत को प्रभुत्व सम्पन्न राज्य बतलाते हुए उसे आन्तरिक और बाहरी सभी मामलों में पूर्ण स्वतन्त्र मानती है।

4. लोकतन्त्रात्मक मूल्यों की स्थापना :-

संविधान की भूमिका देश में लोकतन्त्रात्मक समाज की स्थापना करना चाहती है, अपितु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों के पालन का अवसर दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5. लोकतन्त्रात्मक अधिकारों की स्थापना :- भारतीय संविधान की भूमिका यह कहकर नागरिकों के मूल अधिकारों की स्थापना करती है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जायेगी।

6. सरकार के रूप का स्पष्टीकरण :- संविधान की भूमिका यह स्पष्ट करती है कि देश में किस प्रकार के शासनतन्त्र की स्थापना की जायेगी। भूमिका में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संविधान का उद्देश्य देश में लोकतन्त्रात्मक शासनतन्त्र की स्थापना करना है।

7. धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना :- देश के समस्त नागरिकों के धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता देकर भारतीय संविधान की भूमिका देश में धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना करती है।

8. अधिनियम संविधान :- भारतीय संविधान की भूमिका ही यह स्पष्ट कर देती है कि भारतीय संविधान अधिनियमित और लिखित संविधान है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

9. संविधान की कुँजी:-

अन्त में, भूमिका के उपरोक्त लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि वह संविधान की कुँजी है, वह संविधान की आत्मा है; उससे भारतीय जनता के निश्चय का पता चलता है। अमरीकी संविधान में जो स्थान उसकी प्रस्तावना का है, वही भारतीय संविधान में संविधान की भूमिका का है। जैसा कि एम० आर० पौलैण्ड ने कहा है:-

"वह संविधान का अंग नहीं है, परन्तु फिर भी संविधान के स्रोतों, आदर्शों, कामों और राजनैतिक ढाँचे आदि की घोषणा करती है"

शिक्षा से सम्बन्धित धाराएँ
(Articlis Relatied to Education)

भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण धाराऐं एंव उपबन्ध है, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। जो निम्नलिखित हैं:

(1) धारा 28(1):-

"राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा-संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।"

(2) धारा 29(1):-

भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाये रखने का अधिकार होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(3) धारा 29 (2) :- राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा।

(4) धारा 30 :- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा।

(5) धारा 45 :- राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(6) धारा 46 :- राज्य जनता के निर्बल विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

(7) धारा 343 :- देवनागरी लिपि में हिन्दी, संघ की राजभाषा होगी।

(8) धारा 350 (अ) :- प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों या वर्गों के बच्चों को प्राथमिक

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाऐं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(9) धारा 351 :- हिन्दी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner